

प्रपत्र VII
आदेश-पत्र के लिए फार्मेट
(नियम 18 देखें)

चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष उत्पाद कोर्ट-II, गोपालगंज
केस न0-उत्पाद सिरियल न0- /2022 राज्य बनाम् सुजय कुमार उर्फ संजय कुमार
बिहार मधनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

1. अभियुक्त का नाम-सुजय कुमार उर्फ संजय कुमार
2. उम्र 41.....वर्ष
3. पिता का नाम-ललन राम
4. पता-सा0-कोटवां थाना-यादोपुर जिला-गोपालगंज
5. गिरफ्तारी की तिथि समय और स्थान-बलथरी चेक पोस्ट दिनांक 01.12.2022. समय.. 19:50 बजे
6. पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा जाँच रिपोर्ट समर्पित करने की तिथि. 01.12.2022
पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा समर्पित उपर उल्लिखित जाँच रिपोर्ट का अवलोकन किया। आज पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा उक्त अभियुक्त को प्रस्तुत किया गया है। मैं एतद्वारा बिहार मधनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-37 के अधीन संज्ञान लेता हूँ।

अभियुक्त के विरुद्ध आरोप है कि उसने दिनांक. 01.12.2022... को अल्कोहल का उपभोग किया था और वह बलथरी चेक पोस्ट स्थान में पकड़ा गया। अभियुक्त की चिकित्सीय परीक्षा/श्वसन विश्लेषण करायी गयी जिससे सम्पुष्ट हुआ कि उसने अल्कोहल/शराब का उपभोग किया था।

उपर्युक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर समझाया गया। मैंने उसका बयान दर्ज किया है

अभियुक्त से पूछा गया कि क्या वह दोषी होने का अभिवचन करता है। उसने दोषी होने का अभिवचन किया है। मैं प्रथमदृष्ट्या संतुष्ट हूँ कि उसके विरुद्ध आरोप सुआधारित है।

इसलिए अभियुक्त को बिहार मध निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा-37 के अधीन 20000/- रुपये की राशि के भुगतान करने या उक्त जुर्माने की राशि के भुगतान में चूक होने पर 30 दिनों के कारावास भोगने का दंडादेश दिया जाता है।

तिथी:-02.12.2022

स्थान:-गोपालगंज

Sanjiv Kumar Pandey
प्र0 चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह
विशेष उत्पाद कोर्ट-II, गोपालगंज।

UPON DEPOSITE OF FINE
LET HE/SHE BE RELEASED

A. DJ-IV CUM ESEC-II
GOPALGAMJ